ग्राम पंचायत–लाना भल्टा, विकास खण्ड पच्छाद, जिला–सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
के अवधि 04/2022 से 03/2024
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006–12669 दिनाँक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत–लाना भल्टा, विकास खण्ड पच्छाद, जिला–सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहेः–

प्रधानः–

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति नीशा कुमारी	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिवः–

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री नरवीर सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायकः–

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री रजनीश	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवकः–

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री घनश्याम	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत—लाना भल्टा, विकास खण्ड पच्छाद ,जिला—सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं.	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.3	रोकड बही का संधारण ई—ग्राम स्वराज पोर्टल पर न करना	1.66
2	6	अनुदान उपयोग हेतु शेष	47.86
3	7.1	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.69
4	7.2	रसीदों से प्राप्त का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	0.13
5	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.02
6	8.3	निर्माण सामग्री की प्राप्त मात्रा से वॉइड्स (Voids) की कटौती न करना	0.02

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न तालिका में वर्णित है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/14 से 03/17

क्र0 सं0	पैरा सं0	नविनतम स्थिति	विवरण
1	5	निर्णीत	वर्तमान में रोकड बही व खातों के मिलान उपरान्त।
2	7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
3	9	अनिर्णीत	
4	10	निर्णीत	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH- HA (5) C (15)- 13 (L)5-47005-81 दिनांक 15/02/2012 में जारी दिशा निर्देशों अनुसार।
5	11	अनिर्णीत	
6	13	अनिर्णीत	
7	14	अनिर्णीत	
8	15	अनिर्णीत	
9	16	अनिर्णीत	

10	17	अनिर्णीत	
11	19	निर्णीत	वर्तमान में मनरेगा रोकड बही का संधारण ऑनलाईन करने उपरान्त।
12	20	निर्णीत	वर्तमान दिशा–निर्देशों अनुसार ही बजट प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
13	21	अनिर्णीत	वर्तमान में दिशा–निर्देशों अनुसार ही अभिलेखों का रख रखाव किया जा रहा है।
14	23	अनिर्णीत	
15	24	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
16	25	निर्णीत	ग्राम पंचायत द्वारा नवीनतम भैतिक सत्यापन दिनांक 31/03/2024 को करवाया गया है।
17	26	निर्णीत	वर्तमान में दिशा– निर्देशों की अनुपालना उपरान्त।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत–लाना भल्टा, विकास खण्ड पच्छाद, जिला–सिरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08/07/2024 से 10/07/2024 तथा 15/07/2024 से 19/07/2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मासो का चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्त्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	03/2023	07/2022
2023–2024	09/2023	01/2024

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत अथवा उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण

प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत—लाना भल्टा, विकास खण्ड पच्छाद, जिला—सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन सं0 49 दिनांक 19/07/2024 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला—171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत लाना भल्टा द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** पर भी दिया गया है:—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	कुल (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2022-23	8174970.16	6436980.65	250119	**14862069.8**	5786849.15	**9075220.66**
2023-24	9075220.66	4307503	298296	**13681019.7**	6957285	**6723734.66**
दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **परिशिष्ट—2**						**65572.669**
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर (₹6723734.66 – ₹6557269.66) **परिशिष्ट—2**						**166465**

4.2 बैंक समाधान विवरणी बारेः—

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31/03/2024 को पैरा 4.1 में वर्णित रोकड़ बही व बैंक शेषों के कुल अन्तर की बैंक समाधान विरिणियाँ प्रस्तुत कर दी गई थी जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनके सम्बन्ध में उचित समाधान करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाएः—

(क) ₹2.18 लाख की गलत प्रविष्टियों का समाधान रोकड़ बही में न करनाः—

15वां वित्त आयोग से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी का अवलोकन करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में निम्न विवरणानुसार ₹217921 की गलत प्रविष्टियाँ दर्शाई गई थी परन्तु इससे सम्बन्धित समाधान प्रविष्टियाँ अंकेक्षण समाप्ति तक भी रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई

थी। अतः उपरोक्त प्रविष्टियों से सम्बन्धित उचित छानबीन की जाए तथा इनकी समाधान प्रविष्टियाँ अब रोकड़ बही में दर्ज करके सम्बन्धित समर्थित अभिलेख अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	योजना	विवरण	राशि (₹)
1	15वां वित्त आयोग	रोकड़ बही में वाउचर संख्या XVFC/2023-24/R/8 दिनांक 12.11.23 दर्शाई गई प्राप्ति जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पास बुक में दर्ज नहीं पाई गई।	99000
2	15वां वित्त आयोग	रोकड़ बही में वाउचर संख्या XVFC/2023-24/R/8 दिनांक 12.11.23 दर्शाई गई प्राप्ति जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पास बुक में दर्ज नहीं पाई गई।	1700
3	15वां वित्त आयोग	रोकड़ बही में वाउचर संख्या XVFC/2023-24/R/8 दिनांक 12.11.23 दर्शाई गई प्राप्ति जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पास बुक में दर्ज नहीं पाई गई।	11650
4	15वां वित्त आयोग	रोकड़ बही में वाउचर संख्या XVFC/2023-24/R/8 दिनांक 12.11.23 दर्शाई गई प्राप्ति जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पास बुक में दर्ज नहीं पाई गई।	99000
5	15वां वित्त आयोग	रोकड़ बही में वाउचर संख्या XVFC/2023-24/R/8 दिनांक 12.11.23 दर्शाई गई प्राप्ति जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पास बुक में दर्ज नहीं पाई गई।	6571
		कुल	**217921**

4.3 DDURP की रोकड बही का संधारण ई–ग्राम स्वराज (e-Gram-Swaraj) पोर्टल पर न करना

विशेष सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः पीसीएच–एचसी–(10)/2016–5072–95 दिनांक 24.01.2018 द्वारा हि0प्र0 अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर प्रियासॉफ्ट के लेखों के रख–रखाव/अद्यतन को सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार (DDURP) से सम्बन्धित अभिलेख/रोकड़ बही का संधारण हस्तगत (Mannual) किया गया था जिससे सम्बन्धित खाते में दिनांक 31.03.2024 को ₹165823/– की राशि शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट में लेखों ाक उचित अनुसरण/अद्यतन न करना अनियमित है। इस बारे सचिव

से अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 47 दिनांक 19.07.2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उन्होनें अंकेक्षण को अवगत करवाया कि यह योजना ई–ग्राम स्वराज (e-Gram-Swaraj) पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि हि0प्र0 पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत अविलम्ब e-Gram Swaraj software में लेखों को तैयार व अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 सावधि जमा में निवेश न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना तथा **परिशिष्ट–2** अनुसार ग्राम पंचायत के स्वः स्त्रोत खातों में दिनाँक 31.03.2024 को **₹1937876.66** की राशि शेष थी परन्तु सावधिक जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के दृष्टिगत सावधि जमा में राशि को निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 अनुदान राशि ₹47.86 लाख उपयोग हेतु शेष

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2024 को **₹4785858** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग ऐजेन्सी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है:–

क्रम संख्या	योजना	रोकड बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को अन्त शेष (₹)
1	14 वां वित्त आयोग (14th FC)	417
2	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	4345872
3	मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना (MMGPY)	23643
4	मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल ऐरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)	82858
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	30873
6	सैक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग (SDP)	136372
7	दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार (DDURP)	165823
	कुल	**4785858**

अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनकी सक्षम प्राधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.69 लाख वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व **परिशिष्ट– 5 व 6** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 तक पंचायत को निम्न विवरणानुसार राजस्व राशि **₹68650** वसूली हेतु शेष थी–

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक 31/03/2024 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	गृहकर **(परिशिष्ट– 5)**	28650
2	भवन किराया **(परिशिष्ट– 6)**	40000
	कुल	**68650**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 46 दिनांक 15/07/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 रसीदों से प्राप्त ₹0.13 लाख आय का रोकड़ बही में लेखांकन न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार रोकड़ बही में आय व्यय की प्रत्येक मद का लेखांकन लेन देन के दिन करना अपेक्षित है। परन्तु आय से सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रसीदों से प्राप्त **₹13424** की आय का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया था।

क्रम संख्या	रसीद संख्या	दिनांक	आय का स्त्रोत	राशि (₹)
1	0200962	12/02/2024	विवाह पंजीकरण शुल्क	200
2	0200963	13/03/2024	विवाह पंजीकरण शुल्क	200
3	025	21/11/2023	दुकान किराया	2400
4	026	27/03/2023	दुकान किराया	12800
			कुल	**15600**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 46 दिनांक 15/07/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगंत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त रोकड बही में लेखांकित करके बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 एक ही क्रमांक संख्या की 4 रसीद बुकें प्रयोग में लाना

ग्राम पचायत लाना भल्टा के अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों की पडताल करने पर पाया गया कि पंचायत में एक ही रसीद संख्या क्रमांक (1 से 100) की 4 रसीद बुकें प्रयोग में लाई जा रही थी जिससे प्राप्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 46 दिनांक 15/07/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों को यह रसीद बहियाँ जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित की जाती है। अतः यह अनियमितता जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय सिरमौर के ध्यनार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है तथा ग्राम पंचायत को सम्बन्धित रसीद बुक रजिस्टर का संधारण शीघ्र करने का परामर्श दिया जाता है।

7.4 गृहकर प्राप्ति रजिस्टर का संधारण उचित प्रकार से न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार फार्म–10 पर तैयार नहीं किया गया था। गृहकर रजिस्टर में आरम्भिक शेष का विवरण भी नहीं दिया गया था तथा रजिस्टर में वर्ष के दौरान प्राप्त की गई राजस्व राशि को लगातार क्रम में लिखा गया था, जबकि इसकी प्रविष्टी एक परिवार विशेष के लिए अलग पृष्ठ/खाता बनाकर उसमें की जानी चाहिए थी ताकि प्रत्येक परिवार के लिए मांग व प्राप्ति की सही आकलन किया जा सके। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 46 दिनांक 15/07/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर का संधारण उचित प्रकार से न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 निर्माण कार्य

8.1 मनरेगा के अन्तर्गत मस्ट्रोल किए गए ₹2.34 लाख भुगतान बारे

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 के अन्तर्गत कार्य समिति/निगरानी समिति की निगरानी में पंचायत के समस्त विकास कार्य निष्पादित किए जाने

अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम **101** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं के रख–रखाव से सम्बन्धित औपचारिकताएं प्रावधित हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत **₹234962** के भुगतान में निम्न वर्णित आपत्तियां दर्ज पाई गई–

- कार्य समिति/निगरानी समिति की सत्यापना के बिना ही किया गया था।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के मस्ट्रोल भुगतनों की माप पुस्तिका में किए गए कार्य से सम्बन्धित मस्ट्रोल संख्या भी अंकित नहीं की गई थी जिस कारण किए गए कार्य के मापन की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी ।

क्रम संख्या	योजना	कार्य का नाम	मस्ट्रोल संख्या	भुगतान दिनांक	राशि
1	मनरेगा	C/O Cattle shed Anil Kant S/O Narender Dutt(1310002051/IF/32135924)	2284	15-07-2022	8268
			2284	15-07-2022	2756
2	मनरेगा	C/o Cattle Shed Deepak Sharma S/o Uma Dutt Vill. Lana Miyu Sr. No. 87 Gp Lana Bhalta(1310002051/IF/32241039)	2285	15-07-2022	5512
			2285	15-07-2022	2756
			2285	15-07-2022	5512
3	मनरेगा	C/o Land Dev. in the fielf of Rakesh Parmar S/o Surender Singh Vill. and Gp Lana Bhalta(1310002051/IF/32241073)	2286	15-07-2022	636
			2286	15-07-2022	5724
			2287	15-07-2022	636
4	मनरेगा	C/o Cattle Shed Ravi dutt S/o Surat Ram Lana Miyun Sr. no. 19 Gp Lana Bhalta(1310002051/IF/32266388)	2288	15-07-2022	10600
5	मनरेगा	C/o Cattle Shed Prem Pal Singh S/o JangSher Lana Miyu Sr. No.27 Gp Lana Bhalta (1310002051/IF/32273308)	2289	15-07-2022	5512
6	मनरेगा	C/o Cattle Shed Deela Ram S/o Rattan Singh Lana Miyu Sr. No. 31 Gp Lana Bhalta(1310002051/IF/32273320)	2290	15-07-2022	4240
			2290	15-07-2022	2120
7	मनरेगा	C/o Cattle Shed Ram Krishan S/o Dangan Singh Miyu Sr.No.28 Gp Lana Bhalta(1310002051/IF/32273330)	2291	15-07-2022	4240
			2291	15-07-2022	2120
8	मनरेगा	C/o Sinchai Tank Devinder Singh S/o Sunder Singh Vill. Lana Machher Sr. No. Gp Lana Bhalta(1310002051/IF/32241091)	7619	31-01-2024	3375
			7619	31-01-2024	16875
9	मनरेगा	C/o Land Developmant Lekh Raj S/o Jaswant Singh Rewarla Sr. No. 133 Gp Lana Bhalta(1310002051/IF/8000089498)	6791	17-01-2024	23040
			7623	31-01-2024	25200
10	मनरेगा	C/o Land Development Babu Ram S/o Geeta Ram Rewarla Sr. No. 130 Gp Lana Bhalta(1310002051/IF/8000089501)	6792	17-01-2024	24000
			7621	31-01-2024	14400
11	मनरेगा	C/o Land development Parmjeet Singh S/o Harbans Bakhroti Sr 25 Gp Lana	6939	17-01-2024	15360

		Bhalta(1310002051/IF/8000092615)			
			7624	31-01-2024	18000
			7624	31-01-2024	3600
12	मनरेगा	C/o Tank Narata Ram S/o Dharam Dass Kuftu Adgaliya Sr. No.40 Gp Lana Bhalta(1310002051/IF/8000100720)	6940	17-01-2024	3600
13	मनरेगा	C/O Pakka Road Barial se Goshala (1310002051/RC/8000112026)	7625	31-01-2024	26880
		कुल			**234962**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 47 दिनांक 19/07/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः बिना कार्य समिति/निगरानी समिति के किये गये कार्यों का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि विकास कार्यों को समिति की निगरानी में निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करते हुए माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण नियमानुसार किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी ₹0.02 लाख की कटौती न करनाः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म "एक्स" या "डब्लयू" प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन. –(आर0डी0 एवं पी0आर0)– डी0बी0. जनरल/2023–1/204192/2023–34307–30, दिनाँक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "एक्स" या "डब्लयू" प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्राजिंट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न तालिका अनुसार ₹2166 का अनियमित भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	योजना	वाउचर सं0/ माह	कार्य का नाम	बिल सं0/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा घन मीटर	कनवर्जन फैक्टर	मात्रा घन मीटर	कनवर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	रॉयल्टी दर (₹)	देय रॉयल्टी (₹)
1	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2022-23/P/1 20-07-2022	निर्माण कार्य सार्वजनिक शौचालय बड़ू साहिब	115/ 02-07-22	Parmar Building Material	Bricks	3500	1	3500	-	3500	0.05	175
				114/ 01-07-22	Parmar Building Material	Bajri	100	0.028	2.8	1.46	4.088	80	327

				113/30-06-22	Parmar Building Material	Sand	300	0.028	8.4	1.6	13.44	80	1075
2	14 वां वित्त आयोग	FFC/2022-23/P/12 27-07-2022	निर्माण कुहल मलावां से बकरोठी	117/05-07-22	Parmar Building Material	Bajri	130	0.028	3.64	1.46	5.3144	80	425
				116/05-07-22	Parmar Building Material	Sand	50	0.028	1.4	1.46	2.044	80	164
			कुल										**2166**

इस सम्बन्ध मे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 47 दिनांक 19/07/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 निर्माण सामग्री की प्राप्त मात्रा से ₹1570 के वॉइड्स (Voids) की कटौती न करना

हि0प्र0 पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक 5% व 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम0एम0 से लेकर 75 एम0एम0 तक 12.5% की दर से वॉइड्स (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है। जिस कारण आपूर्तिकर्ता को निम्न तालिका अनुसार **₹1570** का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है।

क्र0 सं0	योजना	वाउचर सं0/ माह	कार्य का नाम	बिल सं0/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा घन मीटर	दर (₹)	जी0एस0टी दर	कटौति दर	अपेक्षित कटौति मात्रा	कटौति राशि (₹)
1	15 वां वित्त आयोग	XVFC/2022-23/P/1 20-07-2022	निर्माण कार्य सार्वजनिक शौचालय बडू साहिब	114/01-07-22	Parmar Building Material	Bajri	100	65	5	10%	10	683
2	14 वां वित्त आयोग	FFC/2022-23/P/12 27-07-2022	निर्माण कुहल मलावां से बकरोठी	117/05-07-22	Parmar Building Material	Bajri	130	65	5	10%	13	887
			कुल									**1570**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 47 दिनांक 19/07/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर

प्राप्त नहीं हुआ। अतः वाइड्स (Voids) की कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

9.1 ई–ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत की चल–अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करना :–

ई–ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल–अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 46 दिनांक 15/07/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः ई–ग्राम स्वराज में पंचायत की चल–अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:–

क्र. सं.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	बैंक समाधान विवरणी	–	7 (3) व 10 (1)
2	निवेश रजिस्टर	1	12
3	खाता बही	7	29
4	वर्गीकृत सार	8	29(4)
5	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति ऐस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)

हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
2	अनुदान रजिस्टर	8	34
3	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं०: 46 दिनांक 15/07/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जोकि आपत्तिजनक है जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध करवाना अपेक्षित है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 **लघु आपति विवरणिका** :– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

11 **निष्कर्ष** :– ग्राम पंचायत के लेखों के रख रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों में वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

15 OCT 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

4933-4937 का०/68

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(10) 13/2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हि०प्र०।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत लाना भल्टा, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

15 OCT 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का०/30

'परिशिष्ट-1'

ग्राम पंचायत लाना भल्टा, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022–23 व 2023–24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	अन्त शेष
2022-23	8174970.16	6436980.65	250119	**14862069.8**	5786849.15	**9075220.66**
2023-24	9075220.66	4307503	298296	**13681019.7**	6957285	**6723734.66**

ग्राम पंचायत लाना भल्टा, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2022–23 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	अन्त शेष
सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत	2845409.66	793853	78594	**3717856.66**	927280	**2790576.66**
14 वां वित्त आयोग (14th FC)	1048254	0	49573	**1097827**	1097797	**30**
15 वां वित्त आयोग (15th FC)	3427161	2953732	107756	**6488649**	822987	**5665662**
मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना (MMGPY)	108920	0	3292	**112212**	90000	**22212**
मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल ऐरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)	77263	49000	2754	**129017**	49000	**80017**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	38236	160000	1156	**199392**	118700	**80692**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	85600.5	2597	0	**88197.5**	88197.5	**0**
सैक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग (SDP)	230815	160000	6994	**397809**	142000	**255809**
दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार (DDURP)	313311	13308		**326619**	146397	**180222**
मनरेगा	0	2304490.65		**2304490.65**	2304490.65	**0**
Total	**8174970.16**	**6436980.65**	**250119**	**14862069.8**	**5786849.15**	**9075220.66**

ग्राम पंचायत लाना भल्टा, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023–24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	अन्त शेष
सामान्य निधि/ स्वः स्त्रोत	2790576.66	961112	96589	**3848277.66**	1910401	**1937876.66**
14 वां वित्त आयोग (14th FC)	30	319040	6441	**325511**	325094	**417**
15 वां वित्त आयोग (15th FC)	5665662	705231	181102	**6551995**	2206123	**4345872**
मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना (MMGPY)	22212	0	1431	**23643**	0	**23643**
मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल ऐरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)	80017	0	2841	**82858**	0	**82858**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	80692	10000	1594	**92286**	61413	**30873**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	0	12000	0	**12000**	12000	**0**
सैक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग (SDP)	255809	39000	8298	**303107**	166735	**136372**
दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार (DDURP)	180222	6634		**186856**	21033	**165823**
मनरेगा	0	2254486		**2254486**	2254486	**0**
Total	**9075220.66**	**4307503**	**298296**	**13681019.7**	**6957285**	**6723734.66**

परिशिष्ट-'2'

ग्राम पंचायत–लाना भल्टा, डाकघर– छपांग, तहसील व वि0खं0–पच्छाद ,जिला–सिरमौर, पिन कोड–173101

दिनांक 31/03/2024 को बैंक व रोकड बही में अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता सं0	रोकड बही अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹)	अन्तर (₹)
सामान्य निधि/ स्व स्त्रोत	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, खैरी	57510100603	1937876.66	1953043.66	(-) 15167
14 वां वित्त आयोग (14th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, खैरी	57510101053	417	1206	(-) 789
15 वां वित्त आयोग (15th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, खैरी	57510102956	4345872	4160265	185607
मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना (MMGPY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, खैरी	57510102409	23643	23808	(-) 165
मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल ऐरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, खैरी	57510102408	82858	83436	(-) 578
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, खैरी	57510102407	30873	31089	(-) 216
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, खैरी	Account Closed	0	0	0
सैक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग (SDP)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, खैरी	57510100606	136372	137441	(-) 1069
दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार (DDURP)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, खैरी	57510102894	165823	166981	(-) 1158
कुल			6723734.66	6557269.66	204749

166465

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लाना भल्टा
वि0खं0 पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

परिशिष्ट-'3'

ग्राम पंचायत लाना भल्टा, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
दिनांक 31/03/2024 को बैंक समाधान विवरणी

सामान्य निधि/स्वः स्त्रोत

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	1937876.66
जमाः दिनांक 31/03/2024 को प्राप्त ब्याज जिसे रोकड बही में 01/04/2024 को दर्ज किया गया।	15167
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	1953043.66

14 वां वित्त आयोग **(14th FC)**

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	417
जमाः दिनांक 31/03/2024 को प्राप्त ब्याज जिसे रोकड बही में 01/04/2024 को दर्ज किया गया।	789
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	1206

15 वां वित्त आयोग **(15th FC)**

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	4345872
जमाः दिनांक 31/03/2024 को प्राप्त ब्याज जिसे रोकड बही में 01/04/2024 को दर्ज किया गया।	32314
घटावः ई–ग्राम स्वराज में गडबडी के कारण रोकड बही में दर्ज प्राप्तियां जो बैंक में प्राप्त नहीं की गई–	
Voucher No. XVFC/2023- 24/R/8 Dated 12/11/2023	99000
Voucher No. XVFC/2023- 24/R/8 Dated 12/11/2023	1700
Voucher No. XVFC/2023- 24/R/8 Dated 12/11/2023	11650
Voucher No. XVFC/2023- 24/R/8 Dated 12/11/2023	99000
Voucher No. XVFC/2023- 24/R/8 Dated 12/11/2023	6571
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	4160265

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना **(MMGPY)**

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	23643
जमाः दिनांक 31/03/2024 को प्राप्त ब्याज जिसे रोकड बही में 01/04/2024 को दर्ज किया गया।	165
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	23808

मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल ऐरीया डेवलपमेंट स्कीम **(MPLADS)**

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	82858
जमाः दिनांक 31/03/2024 को प्राप्त ब्याज जिसे रोकड बही में 01/04/2024 को दर्ज किया गया।	578
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	83436

सचिव
ग्राम पंचायत लाना भल्टा
डाकघर ... पच्छाद
जिला सिरमौर (हि॰प्र॰)

परिशिष्ट - 4

ग्राम पंचायत लाना भल्टा, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
दिनांक 31/03/2024 को बैंक समाधान विवरणी

विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना **(VKVNY)**

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	30873
जमाः दिनांक 31/03/2024 को प्राप्त ब्याज जिसे रोकड बही में 01/04/2024 को दर्ज किया गया।	216
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	31089

सैक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग **(SDP)**

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	136372
जमाः दिनांक 31/03/2024 को प्राप्त ब्याज जिसे रोकड बही में 01/04/2024 को दर्ज किया गया।	1069
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	137441

दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार **(DDURP)**

विवरण	राशि (₹)
दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही अनुसार अन्त शेष	165823
जमाः दिनांक 31/03/2024 को प्राप्त ब्याज जिसे रोकड बही में 01/04/2024 को दर्ज किया गया।	1158
दिनांक 31/03/2024 को बैंक अनुसार अन्त शेष	166981

सचिव
ग्राम पंचायत लाना भल्टा
जिला सिरमौर हि.प्र.

परिशिष्ट-'ध'

ग्राम पंचायत लाना भल्टा, डाकघर छपांग, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सूचना–

वर्ष 2022–23 के दौरान परिवारों की सं0– 326

वर्ष 2022–23 के दौरान गृहकर की दर– 50 ₹ /परिवार

वर्ष 2023–24 के दौरान परिवारों की सं0– 330

वर्ष 2023–24 के दौरान गृहकर की दर– 50 ₹ /परिवार

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अन्त शेष (₹)
2022–23	8150	16300	24450	12300	12150
2023–24	12150	16500	28650	0	28650

सचिव
ग्राम पंचायत लाना भल्टा
डाकघर छपांग तह० पच्छाद
जिला सिरमौर हि०प्र०

परिशिष्ट-'6'

ग्राम पंचायत लाना भल्टा, डाकघर छपांग, तहसील व विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
दिनांक 31/03/2024 को भवन किराया वसूली सम्बन्धी सूचना–

दुकान सं0	विवरण	मासिक किराया	गत शेष	वर्ष के दौरान मांग	कुल	वर्ष के दौरान प्राप्ति	अन्तशेष/ बकाया
वर्षः 2022–23							
1	श्री लाल सिंह	800	0	9600	9600	1600	8000
2	श्री विमल सिंह	800	7200	9600	16800	16800	0
3	श्री विनोद कुमार	800	7200	9600	16800	0	16800
		कुल	14400	28800	43200	18400	24800
वर्षः 2023–24							
1	श्री लाल सिंह	800	8000	9600	17600	13600	4000
2	श्री विमल सिंह	800	0	9600	9600	0	9600
3	श्री विनोद कुमार	800	16800	9600	26400	0	26400
		कुल	24800	28800	53600	13600	40000

सचिव
ग्राम पंचायत लाना भल्टा
डाकघर छपांग
जिला सिरमौर (हि०प्र०)